राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/जनाधार/वीएस/डीईएस/2020/462 दिनांकः- 27-4-2022

परिपत्र–3

विषयः– जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन में जनआधार की अनिवार्यता के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा परिवर्तित बजट 2019–20 मे की गई बजट घोषणा (अनु.सं. 141) की अनुपालना मे "राजस्थान जनाधार योजना 2019" का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन को भी सम्मिलित किया गया है। इन घोषणाओं के क्रियान्वयन के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 11 (430)/DOIT&C/2021/03211/2021 दिनांक 08.09.2021 के द्वारा समस्त जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए भौतिक सत्यापन एवं दस्तावेजों के स्थान पर डाटा आधारित ऑनलाईन प्रमाणिकरण जनआधार रेजिडेन्ट डेटा रिपोजिटरी के माध्यम से सत्यापन हेतु निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त बजट घोषणा एवं राजस्थान जनाधार प्राधिकरण अधिनियम की अनुपालना में जन्म–मृत्यु एवं विवाह पंजीयन सेवाओं के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना सुनीश्चित करे।

1. जन्म का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के समय बालक/बालिका के परिवार का जनाधार/जनाधार नामांकन रसीद संख्या लिया जावे।
2. मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन के समय मृतक के परिवार का जनाधार/जनाधार नामांकन रसीद संख्या लिया जावे।
3. विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु वर एवं वधु के परिवार का जनाधार/जनाधार नामांकन रसीद संख्या लिया जावे।

यह उल्लेखनीय है कि जनाधार की अनिवार्यता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी पर ही लागू होगी, तथा जनाधार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे आवश्यक रूप से जनाधार नामांकन रसीद संख्या ली जावेगी।

उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/जनाधार/वीएस/डीईएस/2020/462 दिनांकः- 27-4-2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली–110066।
3. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी झालाना डूंगरी, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
5. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं आयुक्त, नगर निगम, जिला समस्त।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एनआईसी योजना भवन जयपुर।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
8. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)